

## सूचना

आप सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दि. 28.03.2024 को बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा एक आम सभा आहूत की गयी जिसमें निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन देहरादून के संविधान के अनुसार बार एसोसिएशन देहरादून का सदस्य है तो वह साथ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल की सदस्यता ले सकता है अन्य किसी भी बार एसोसिएशन की सदस्यता नहीं ले सकता है।

अतः दि. 10.04.2024 तक सभी सम्मानित सदस्य को बार एसोसिएशन देहरादून के अतिरिक्त किसी भी अन्य बार, तहसील, टैक्स व जिला बार के सदस्य हैं (\*हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल को छोड़कर\*) यदि वह बार एसोसिएशन देहरादून की सदस्यता को जारी रखना चाहते हैं तो वह अन्य बार से अपनी सदस्यता का निरस्तीकरण कराकर बार एसोसिएशन देहरादून कार्यालय में सूचित करें।

अगर आप सम्मानित सदस्य द्वारा बार एसोसिएशन देहरादून को दिनांक 10.04.2024 तक कोई सूचना नहीं दी जाती है तो बार एसोसिएशन देहरादून के संविधान के अनुसार सम्मानित अधिवक्तागण बार एसोसिएशन देहरादून के अलावा अन्य बार एसोसिएशन के भी सदस्य हुए तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष सचिव

राजीव शर्मा राजबीर सिंह बिष्ट

एवं समस्त कार्यकारिणी

बार एसोसिएशन देहरादून